**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 480**

**जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।**

**.....**

**झारखंड और राजस्थान में जल संरक्षण और जल संचयन**

**480. श्री बिद्युत बरन महतोः**

**श्री लुम्बा रामः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड और राजस्थान में जल संरक्षण और जल संचयन के लिए कोई विशेष योजना या अभियान चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या सरकार को झारखंड और राजस्थान में जल संकट पैदा करने वाले घटते जल स्तर की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा झारखंड और राजस्थान के सूखाग्रस्त और जल संकट वाले क्षेत्रों में निरंतर जल आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी**

**(क) और (ख):** जल राज्य का विषय है और देश में जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन के संवर्धन के प्रयास संबंधी कार्य राज्य सरकार के अधिदेश के अंतर्गत आते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान की जाती है। वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं :

i. भारत सरकार द्वारा नामतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य शामिल हैं।

ii. 15 वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिसका उपयोग अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन से जुड़े कार्यों के लिए किया जा सकता है।

iii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मौजूदा वर्ष में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो जेएसए की श्रृंखला में 5वां अभियान है। जेएसए: सीटीआर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और निधियों यथा मनरेगा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार घटक, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार की योजनाएं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि आदि का एक अभिसरण है। इस अभियान के अंतर्गत किए गए प्रमुख उपायों में छत पर वर्ष जल संचयन संरचनाओं सहित अन्य वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य शामिल है।

iv. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान: कैच द रेन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और इसे और अधिक सुदृढ़ करने के लिए जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल आरंभ की गई है। इस पहल का उद्देश्य वर्षा जल संचयन / जलभृत पुनर्भरण / बोरवेल पुनर्भरण / पुनर्भरण शाफ्ट आदि के माध्यम से जल पुनर्भरण में वृद्धि करना है, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी संसाधनों जैसे सीएसआर निधि, औद्योगिक इकाइयों, नागरिक निकायों, जल क्षेत्र से संबंधित लोगों आदि से प्राप्त संसाधन समर्थन शामिल हैं जो सामूहिक रूप से जल सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में कार्यरत हैं।

v. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 में स्टॉर्म वॉटर ड्रेन के माध्यम से जल निकायों (जिसमे सीवेज / निस्सरण नहीं हो रहा है) में वर्षा जल संचयन का प्रावधान है। शहरों का लक्ष्य 'जलभृत प्रबंधन योजना' निर्मित कर शहर की सीमाओं के भीतर वर्षा जल संचयन में सुधार के लिए एक रोडमैप विकसित करते हुए भूजल पुनर्भरण में संवर्धन की कार्यनीति तैयार करना है। आईईसी अभियान के माध्यम से वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण प्रथाओं के बारे में जागरूकता का सृजन किया जाता है।

vi. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर समुचित ध्यान देने के साथ साथ स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने हेतु राज्यों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, यथा दिल्ली के

एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014।

vii. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जो अनुमानित लागत सहित देश के विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के लिए संरचनाओं को दर्शाने वाली हुए एक बृहद स्तरीय योजना है। इस मास्टर प्लान में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) मानसूनी वर्षा के संचयन के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान है।

viii. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण शामिल हैं । इसमे वर्षा जल के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर भी बल दिया जाता है।

ix. भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा देश में वर्षा आधारित और निम्नीकृत भूमि के विकास के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक का कार्यान्वयन किया जाता है। इसमे अन्य गतिविधियों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन का कार्य भी शामिल है।

x. पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं संस्थापित करने के कार्य को पंचायत विकास योजना (पीडीपी) में शामिल किया गया है ताकि वे पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी) निधियों अथवा उनके पास उपलब्ध किसी अन्य उपलब्ध निधियों से निष्पादन के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इनका चयन कर सकें।

**(ग):** सीजीडब्ल्यूबी द्वारा झारखंड और राजस्थान राज्यों सहित देश भर में मार्च / अप्रैल / मई, अगस्त, नवम्बर और जनवरी माह के दौरान प्रत्येक वर्ष चार बार भूजल स्तरों की मानीटरिंग की जाती है।

झारखंड और राजस्थान राज्यों में भूजल स्तर में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए, नवंबर 2023 के दौरान झारखंड और राजस्थान में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना नवंबर (2013-2022) के दशकीय औसत से की गई है। झारखंड और राजस्थान के संबंध में औसत (मानसून पश्चात 2013 से 2022) के साथ दशकीय जल

स्तर में उतार-चढ़ाव और मानसून पश्चात 2023 का विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है। झारखंड के संबंध में जल स्तर आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि मॉनीटर किए गए लगभग 45.65% कूपों में भूजल स्तर में सामान्यतः 0.0-2.0 मीटर के मध्य वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त विश्लेषण किए गए 54.35% कुओं में भी भूजल स्तर में सामान्यतः 0.0-2.0 मीटर के मध्य गिरावट देखी गई है।

राजस्थान के संबंध में जल स्तर आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मॉनीटरिंग किए गए लगभग 33.60% कूपो में भूजल स्तर में सामान्यतः 0.0-2.0 मीटर के मध्य वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, 66.40% विश्लेषण किए गए कूपो के भूजल स्तर में 0.0-2.0 मीटर के मध्य गिरावट देखी गई है ।

**(घ):** जल राज्य का विषय है। जल संसाधनों के संरक्षण सहित जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, झारखण्ड एवं राजस्थान के सूखा प्रवण एवं जल संकट क्षेत्रों में जल की उपलब्धता के लिये सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं-

i. केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा झारखंड और राजस्थान राज्यों सहित लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग (नेक्यूम) परियोजना पूरी कर ली गई है। जलभृत्त मैप और प्रबंधन योजनाएं तैयार कर ली गई हैं और इसे कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। इन प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।

ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना-2020 तैयार की गई है जो अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को शामिल करते हुए एक वृहद स्तरीय योजना है। इस मास्टर प्लान में झारखंड में 5.9 लाख संरचनाओं एवं राजस्थान में 7.7 लाख संरचनाओं सहित 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा जल का संचयन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

iii. झारखंड और राजस्थान राज्यों सहित सूखा-प्रवण और जल की कमी वाले क्षेत्रों/अपर्याप्त वर्षा या पराश्रित भूजल स्रोतों वाले क्षेत्रों में नल के जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, दूरस्थ स्थानों और क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं से थोक जल अंतरण की योजना और कार्यान्वयन के लिए जेजेएम के तहत प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्रोत पुनर्भरण के लिए प्रावधान

किए गए हैं, जैसे कि समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का पुनरुद्धार, आदि, के साथ अन्य योजनाओं जैसे कि मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी),15 वें वित्त आयोग आरएलबी/पीआरआई को अनुदान, राज्य योजनाएं, सीएसआर फंड, आदि।

विशेष रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जलभृत्तों के पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से मौजूदा नहर नेटवर्कों को सुदृढ़ करने/विस्तारित करने और/या नहरों का निर्माण करने का अनुरोध किया गया है ताकि बांधों/जलाशयों से तालाबों/झीलों और अन्य जल निकायों में बाढ़ के अधिशेष जल को अंतरित किया जा सके और मानसून के मौसम के दौरान भूजल का पुनर्भरण भी किया जा सके। इसके अतिरिक्त, जल की कमी वाले क्षेत्रों में अवस्थित गांवों के लिए, बहुमूल्य स्वच्छ जल के संरक्षण हेतु, राज्यों को दोहरी पाइप जलापूर्ति प्रणाली अर्थात एक पाइप में स्वच्छ जल की आपूर्ति और दूसरे पाइप में गैर-पीने योग्य/बागवानी/शौचालय फ्लशिंग उपयोग के लिए उपचारित ग्रे/अपशिष्ट जल की आपूर्ति संबंधी नई जल आपूर्ति योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों में घरों के विभिन्न नलों में फोसेट एरेटर्स संस्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उल्लेखनीय मात्रा में जल की बचत की जा सकती है।

जल राज्य का विषय है। जल संसाधन के संवर्धन, संरक्षण एवं इसके कुशल प्रबंधन के लिए कदम मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं।

*****

**अनुलग्नक**

**"झारखंड और राजस्थान में जल संरक्षण और जल संचयन" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 480 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।**

| औसत (मानसून पश्चात 2013 से 2022) एवं मानसून पश्चात 2023 का दशकीय जल स्तर उतार-चढ़ाव का राज्यवार विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य | विश्लेषण किए गए कूपों की संख्या | विभिन्न गहराई सीमा में कूपों की संख्या | | | | | | | | | | | | कूपों की कुल संख्या | | कूपों का कुल % | |
| | | | वृद्धि | | | | | | गिरावट | | | | | | | | | |
| | | | 0 to 2 | % | 2 to 4 | % | > 4 | % | 0 to 2 | % | 2 to 4 | % | > 4 | % | वृद्धि | गिरावट | वृद्धि | गिरावट |
| 1 | झारखंड | 230 | 90 | 39.1 | 12 | 5.2 | 3 | 1.3 | 101 | 43.9 | 14 | 6.1 | 10 | 4.3 | 105 | 125 | 45.65 | 54.35 |
| 2 | राजस्थान | 753 | 146 | 19.4 | 69 | 9.2 | 38 | 5.0 | 223 | 29.6 | 121 | 16.1 | 156 | 20.7 | 253 | 500 | 33.60 | 66.40 |

******